कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

जिला न्यायालय दतिया में अस्थायी रूप से एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क सेन्टर संचालन हेतु विज्ञप्ति

क्रमांक :– 50 / दो–12–1 / 2024 दतिया, दिनांक :– 08 / 01 / 2025

जिला न्यायालय, दतिया में अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए MP Online Kiosk Centre संचालन हेतु इच्छुक एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क संचालकों से निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र दि. 11.02.25 दोपहर 0200 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक कियोस्क संचालक आवेदन पत्र, शर्तें तथा नियत दरों की सूची नजारत अनुभाग जिला न्यायालय, दतिया से रूपए 250.00 रू. का आवेदन शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त आवेदन दिनांक 11.02.2025 को शाम 05:15 बजे प्रशासकीय समिति, जिला न्यायालय, दतिया के समक्ष खोले जाएंगे।

इच्छुक कियोस्क संचालक आवेदन पत्र भरकर, शर्तों तथा नियत दरों की सूची पर हस्ताक्षर कर एवं उल्लेखित जमा राशि की एफ.डी.आर. संलग्न कर बंद लिफाफे में कार्या. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया में उक्त दि. तक प्रस्तुत करें।

निविदा की शर्ते एवं सामग्री की संपूर्ण जानकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिकृत बेवसाइट https:/mphc.gov.in, जिला न्यायालय, दतिया की बेवसाइट https://datia.dcourts.gov.in एवं म.प्र. शासन की बेवसाईट https://mp-tenders.gov.in भी उपलब्ध है, जहां से निविदा प्रारूप एवं शर्ते डाउनलोड की जा सकती है।

8/1/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

जिला न्यायालय, दतिया में अस्थायी रूप से एम.पी.ऑनलाईन कियोस्क संचालन हेतु शर्तें :–

(1) जिला न्यायालय परिसर, दतिया में एम.पी.ऑनलाइन अधिकृत कियोस्क/पोर्टल को संचालित करने हेतु आवेदन करते समय रूपये 30000/– (शब्दों में राशि तीस हजार रूपये मात्र) की राशि सुरक्षा निधि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया के नाम से एफ.डी.आर. के माध्यम से जमा करानी होगी, जो निविदा की अंतिम कार्यवाही उपरान्त असफल उम्मीदवार को वापस कर दी जावेगी।

(2) प्राप्त आवेदन दिनांक 11.02.2025 को शाम 05:15 बजे प्रशासकीय समिति जिला न्यायालय, दतिया के समक्ष खोले जाएंगे। सफल आवेदनकर्ता का चयन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया द्वारा किया जाएगा तथा उनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

(3) एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क/पोर्टल को संचालित करने हेतु स्थान के रूप में एक कमरा, बिन्डो काउन्टर सुविधा सहित उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका मासिक किराया राशि 3000/– रूपये होगा एवं विद्युत जिला न्यायालय द्वारा प्रदान की जावेगी परन्तु उसका व्यय भार कियोस्क संचालक को वहन करना होगा।

(4) सफल आवेदक को न्यायालय परिसर में एक वर्ष के लिए सेन्टर के संचालन की अनुमति दी जाएगी। तत्पश्चात् समयावधि बढ़ाए जाने का निर्णय समय–समय पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा लिया जाएगा।

(5) आवेदक के पास कम से कम तीन वर्ष का कियोस्क संचालन का अनुभव होना आवश्यक है। आवेदन करते समय लायसेंस एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(6) सफल आवेदनकर्ता को कम्प्यूटर, प्रिन्टर, स्कैनर, इन्टरनेट सुविधा, बायोमेट्रिक डिवाइस, फोटोग्राफी मशीन इत्यादि की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी। इसके अतिरिक्त सफल आवेदनकर्ता को पी.ओ.एस. मशीन एवं क्यू.आर. कोड रखना अनिवार्य है। उक्त समस्त उपकरणों का रख–रखाव एवं सुरक्षा का दायित्व आवेदक का ही रहेगा।

(7) सफल आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि जो राशि ग्राहकों द्वारा एम.पी. ऑनलाइन में जमा कराई जा रही है, उसे किसी भी स्थिति में कियोस्क सेन्टर में न रखी जाकर, प्रतिदिन बैंक में जमा करवाना आवश्यक होगा।

(8) आवेदनकर्ता को एम.पी.ऑन लाईन के माध्यम से बैंक में किए गए लेनदेन का तीन साल का स्टेटमेन्ट एवं आवेदन दिनांक में वॉलेट में जमा राशि की जानकारी प्रदान करना होगी।

(9) सफल आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि सात दिवस के भीतर एम.पी. ऑनलाइन वॉलेट में कम से कम 10,00,000/– (दस लाख रू.) रू. रखे होने का प्रमाण पत्र देना होगा।

(10) सफल आवेदनकर्ता को जिला न्यायालय में स्थापित होने वाली एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क में कम से कम 02 कर्मचारियों की न्यायालयीन कार्य दिवस या जब प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा आदेशित किया जाए, की ड्यूटी आवश्यक रूप से लगानी होगी जिनकी तकनीकी योग्यता डीसीए/पीजीडीसीए से निम्न स्तर की न हो। किसी भी स्थिति में कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण कियोस्क बन्द नहीं रखा जाएगा।

(11) सफल आवेदनकर्ता को तीन दिवस के अंदर कियोस्क का पता बदलवाकर जिला न्यायालय, दतिया का करवाना होगा। सफल आवेदनकर्ता को सात दिवस के भीतर एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क जिला न्यायालय दतिया में स्थापित कर प्रारंभ करना होगा।

(12) सफल आवेदनकर्ता/कियोस्क संचालक को माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा तय की गई निर्धारित दर/पोर्टल फीस अनुसार सेवाएं प्रदान करनी होंगी तथा दरों की सूची एवं प्रदान की जाने वाली सेवाएं, बैनर/फ्लेक्स के माध्यम से निर्धारित कमरे के बाहर चस्पा किया जाना अनिवार्य होगा।

(13) आवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यालयीन दिवस पर प्रातः 10:30 बजे से सायं 6:00 बजे तक या प्रधान जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार अन्य दिवस पर कियोस्क सेन्टर को खोलकर आमजनों को सेवाएं उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।

(14) आवेदक कियोस्क सेन्टर में ऐसी कोई भी गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे जिससे कि शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।

(15) कियोस्क सेन्टर के सम्बंध में किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति निर्मित होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया को यह अधिकार होगा कि ऑनलाइन कियोस्क सेन्टर हेतु दिए गए स्थान से संचालक को किसी भी समय बिना कारण बताए एक माह के नोटिस पर कियोस्क हटाने का आदेश दे सकते हैं।

(16) आवेदन के समय आवेदनकर्ताओं को इस बात का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध या उनके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं है। सफल आवेदनकर्ता का पुलिस सत्यापन भी कराया जाएगा।

(17) यदि सफल आवेदनकर्ता किसी भी प्रकार की अनियमितता, तय दर से ज्यादा रूपए वसूलने, शासकीय संपत्ति का नुकसान करने, न्यायालय के अधिकारी/कर्मचारी एवं अधिवक्तागण/पक्षकारगण से दुर्व्यवहार करते हुए पाया जाता है या ऐसा अन्य कार्य कोई जिससे कि शासन के नियमों का उल्लंघन हो, तो कियोस्क संचालक की जमा राशि में से रूपए 1000/– प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगाई जावेगी। यदि एक वर्ष में अगर 30 दिन पेनाल्टी लगती है तो आवेदनकर्ता का आवेदन स्वमेव निरस्त हो जावेगा एवं उसे 3 दिन में कियोस्क सेन्टर को नियत स्थान से खाली करना होगा। इस संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया का निर्णय अंतिम होगा।

(18) उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर कियोस्क संचालक का टेन्डर/ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

<u>जिला न्यायालय, दतिया में अस्थायी रूप से एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क संचालक हेतु आवेदन पत्र</u>

1. आवेदक का नाम ....

2. आधारकार्ड / पेनकार्ड / वोटरआईडी ....
अन्य शासकीय दस्तावेज की प्रति एवं नं0 ....

3. पिता / पति का नाम ....

4. पता एवं मोबाइल नं0 ....
....
....

5. सुरक्षानिधि की जानकारी एफडीआर नं. ....

6. कियोस्क पंजीयन क्र. ....
(कियोस्क संचालन के लायसेंस एवं तीन वर्ष के अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

7. कियोस्क संचालन का वर्तमान पता ....
....

8. कियोस्क वॉलेट से जुडे बैंक संव्यवहार ....
का खाता क्र., नाम एवं जमा राशि ....

(कियोस्क संचालन के संबंध में बैंक से किए गए ऑनलाइन संव्यवहार की पिछले 3 वर्ष की छायाप्रति संलग्न करें)

:: **<u>घोषणा– पत्र</u>** ::

मैं .... यह घोषणा करता / करती हूं कि मैंने जिला न्यायालय, दतिया में अस्थायी रूप से एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क सेन्टर संचालन करने के संबंध में सभी शर्तों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लिया है तथा मेरे द्वारा उपरोक्त बिन्दु क्र. 01 लगायत 08 तक जो जानकारी भरकर संलग्न प्रस्तुत की है वह पूर्ण रूप से सत्य व सही है।

दतिया, दिनांक ....

हस्ताक्षर ....
नाम व पता ....
....
....